आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

पत्रांक : 1718/बी.एफ.टी./02/10-11

दिनांक 18/8/11

प्रेषक

सहायक अभियन्ता (भवन),
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

श्री अतुल कुमार जैन पुत्र श्री सतीश चन्द्र जैन,
नि0-ट्रान्स यमुना कॉलोनी
आगरा।

विषयः <u>खसरा नं0-159 मौजा चमरौली, आगरा पर प्रस्तुत विन्यास मानचित्र के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा प्रस्तुत विन्यास मानचित्र उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक **18.08.2011** के अंतर्गत संदर्भित औपचारिकताओं पूर्ति की दशा में विन्यास मानचित्र स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। अतः निम्नलिखित औपचारिकतायें 15 दिन में पूर्ण कराते हुए विकास कार्यों हेतु अनुबंध निष्पादित करा लें :-

1. आवेदक/समिति को आंतरिक विकास कार्य निर्धारित समय में पूर्ण करने होंगे तथा कॉलोनी नगर निगम को हस्तान्तरित करानी होगी। आंतरिक विकास कार्यों की लागत के आंगणन का **50%** लागत के भूखण्ड बंधक रखने होंगे, जो विकास कार्यों की पूर्णता के अनुपात में ही अवमुक्त हो सकेंगे।
2. बाह्य विकास शुल्क **रु. 82,92,350.00** प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा, जो 6 छमाही किश्तों में 12प्रतिशत ब्याज सहित जमा करना होगा। प्रथम किस्त जमा करने के पश्चात ही अनुबन्ध निष्पादित किया जा सकेगा।
3. निरीक्षण शुल्क **रु. 1,88,270.00** प्राधिकरण कोष में एकमुश्त जमा कराना होगा।
4. लैण्डफिल साइट तथा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हेतु प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर निर्धारित धनराशि जमा करानी होगी तथा विकास शुल्क में यदि कोई वृद्धि होती है तो मांग करने पर धनराशि जमा करानी होगी, का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का प्राविधान स्थल पर करना होगा।
6. पेयजल, सीवर ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट, ड्रेनेज की समुचित व्यवस्था करनी होगी। बाह्य विकास की सुविधायें उपलब्ध होने से पूर्व जल/मल निस्तारण कार्य पक्ष द्वारा इस प्रकार किया जायेगा, जिससे ग्राउण्ड वाटर प्रदूषित न हो।
7. आवेदक को नगर निगम, जल संस्थान, तहसील व विद्युत विभाग की एन0ओ0सी0 प्रस्तुत करने के पश्चात् ही मानचित्र निर्गत किया जा सकेगा।
8. कॉलोनी के अंदर विकास कार्य प्रारंभ किये जाते समय वृक्षारोपण शासनादेश के अनुसार करना होगा जिसमें वृक्षों की ऊँचाई न्यूनतम 12 फुट होगी तथा डलावघर की व्यवस्था करनी होगी।
9. भूखण्डों के सम्मुख सड़क एवं नाली के निर्माण के उपरांत ही पृथक् रूप से एकल मानचित्र स्वीकृत किये जायेंगे।
10. यदि भविष्य में कोई शुल्क की देयता पक्ष पर आरोपित की जायेगी तो नियमानुसार भुगतान करना होगा।
11. विकास के दौरान यदि स्वीकृत प्लान में कोई विचलन है या विचलन किया जाना अभिप्रेत है तो प्रस्तावित विचलन निष्पादित करने से पूर्व प्राधिकरण से अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी।
12. भू-स्वामित्व सम्बन्धी वाद विवाद होने अथवा उत्पन्न होने की दशा मे दी गयी स्वीकृत स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

भवदीय

18/8/11

सहायक अभियन्ता (भवन)